

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-1/2018/

दिनांक:

-:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/चयनित वेतनमान	देय ग्रेड-पे
1.	कल्पना सेंगर नर्सिंग ट्यूटर	धोलपुर	22.04.99	22.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
2.	गोपाल प्रसाद गर्ग, नर्स प्रथम	भरतपुर	16.08.90	16.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	अर्जुन कुमार, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	प्रभुलाल पालीवाल, नर्स प्रथम	उदयपुर	11.07.90	11.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	रोशनलाल कलाल, नर्स प्रथम	उदयपुर	11.07.90	11.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	दलीचन्द्र मेघवाल, नर्स प्रथम	उदयपुर	18.07.90	18.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	रामलाल मीणा, नर्स प्रथम	उदयपुर	19.04.08	19.04.17 09 वर्ष	9300-34800	4800
8.	भंवरलाल नर्स प्रथम	जालौर	11.07.90	11.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	शक्ति सिंह खींची, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.08 18 वर्ष 20.06.17 27 वर्ष	9300-34800 15600-39100	4200 6000
10.	विरेन्द्र सिंह चौहान, नर्स प्रथम	जोधपुर	25.06.81	25.06.08 27 वर्ष	9300-34800	4800
11.	शंकरलाल बालोटिया, नर्स प्रथम	जोधपुर	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	सरजीत सिंह, नर्स प्रथम	अलवर	03.02.86	03.02.13 27 वर्ष	9300-34800	4800
13.	श्री शंकर लाल शर्मा, नर्स प्रथम	कराबी चिकित्सा डबोक उदयपुर	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 14.05.2018

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-1/2018/274

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
4. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कराबी औषो ईएसआई योजना।
11. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर